सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, परदे और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 कानून को लागू करने के नियम:

धारा 4:

1- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।
2- सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार पर एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 x 30 CM का सफेद प्रष्ट भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
3- बोर्ड जिसमें 15 CM व्यास की लाल रंग की परिमिति होगी, जिसकी चौड़ाई 3 CM से कम नहीं होगी तथा इतने ही मोटाई की एक कटा घेरे के केंद्र में काले धुंए के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को कटती हुई प्रदर्शित होगी। (Figure 4 देखें)
4- बोर्ड के नीचे प्रभारी/मालिक (जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक/प्रभारी उल्लंघन करने पर कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जाएगा।
5- सार्वजनिक स्थानों पर (Smoking Aid) सिगरेट लाइटर एवं बीड़ी/सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस), ऐश ट्रे इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
6- केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एअरपोर्ट में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है।

उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

Figure 4

धारा 5:

1- तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2- तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर 60 x 45 CM काले अक्षरों में सफेद प्रष्ट भूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिसके ऊपरी भाग में 20 x 15 CM चौड़े भाग पर 'तंबाकू से कैंसर होता है' लिखा होना चाहिए। उस बोर्ड पर सिर्फ तंबाकू पदार्थों की सूचि लगा सकते हैं जैसे की बीड़ी, सिगरेट, गुटका, खैनी इत्यादि। (Figure 5 देखें)
3- तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर कोई ब्रांड नाम, चित्र, रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए व वह बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए।
4- टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है।

उक्त नियमों के उल्लंघन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

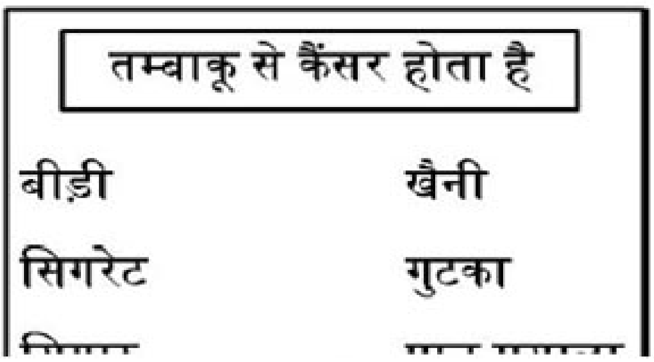

Figure 5

धारा 6:

1- 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
2- 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
3- नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देने चाहिए।
4- बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है। (Figure 6a देखें)
5- शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
6- शिक्षण संस्थान के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमे लिखा हो कि 'तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।' (Figure 6b देखें)

उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

Figure 6a

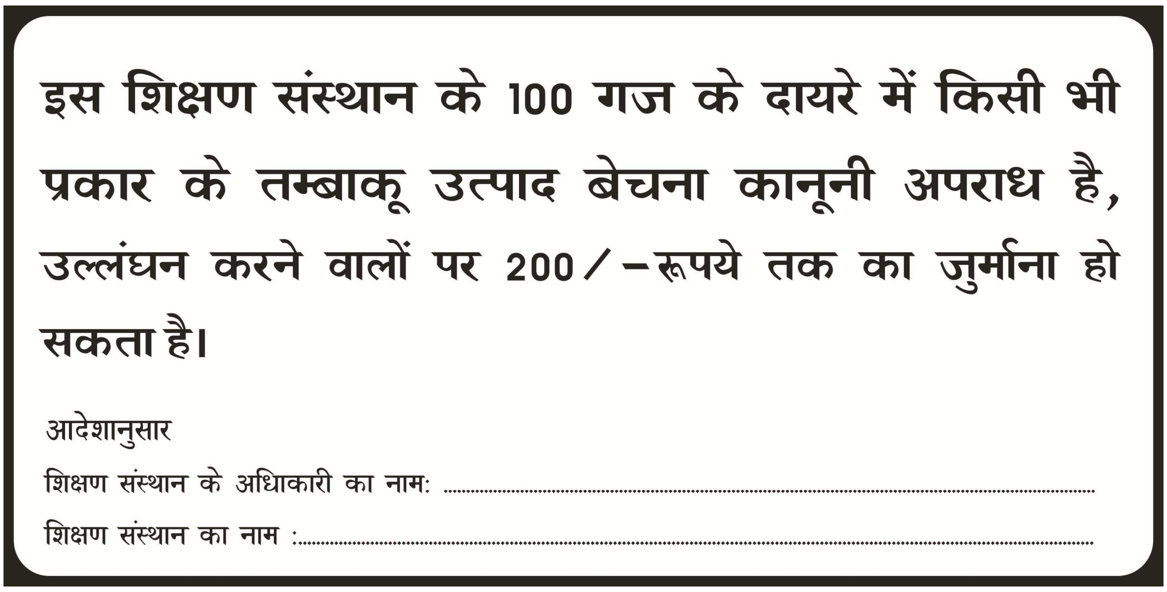

Figure 6b

धारा 7:

1- बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है।
2- यह चित्रित वैधानिक चेतावनी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले प्रत्येक पैकेट के 85 प्रतिशत भाग पर स्पष्ट रुप से छपी होनी आवश्यक है।
3- चित्रित वैधानिक चेतावनी प्रतिवर्ष बदलनी आवश्यक है।
4- यह चित्रित वैधानिक चेतावनी चबाने वाले तंबाकू (Figure 7a-1 एवं Figure 7a-2 देखें) और पीने वाले तंबाकू (Figure 7b-1 एवं Figure 7b-2 देखें) में छपी होनी चाहिए।

उक्त नियमों के उल्लंघन पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

Figure 7a-1

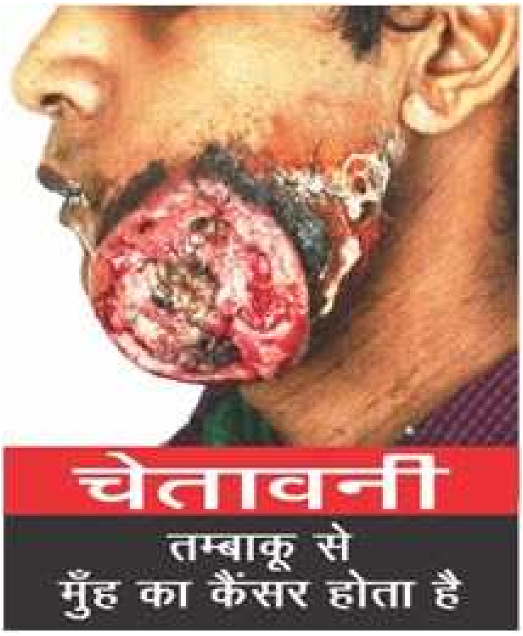

Figure 7a-2

Figure 7b-1

Figure 7b-2